

**अनुदान संख्या 42 - प्रत्यक्ष कर**  
**GRANT No. 42-DIRECT TAXES**

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
प्रभारित-	<i>Charged-</i>	2,00	. .	-2,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	<i>Amount surrendered during the year</i>			2,00
स्वीकृत-	<i>Voted-</i>			
मूल	<i>Original</i>	1305,98,00	1371,03,00	1348,47,22
पूरक	<i>Supplementary</i>	65,05,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	<i>Amount surrendered during the year</i>			11,64,67
<b>पूंजीगत:</b>	<b>Capital:</b>			
स्वीकृत-	<i>Voted-</i>	28,00,00	4,90,05	-23,09,95
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	<i>Amount surrendered during the year</i>			20,30,34

**टीका और टिप्पणियां**

1. अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में, 2.00 लाख रु. का विनियोग मुख्य शीर्ष '2020' - "आय और व्यय पर करों का संग्रहण" के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और इसे अंततः अभ्यर्पित कर दिया गया।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (2255.78 लाख रु.) मार्च, 2007 में प्राप्त किए गए 6505.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 35 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 2 प्रतिशत थीं।

**Notes and comments**

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of Rs.2.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "2020" - "Collection of Taxes on Income and Expenditure" and was eventually surrendered.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.2255.78 lakhs) constituted 35 percent of supplementary grant of Rs.6505.00 lakhs obtained in March, 2007 and 2 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major head:-

कुल अनुदान  
Total  
grant

वास्तविक व्यय  
Actual  
expenditure

बचत-  
Saving-

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head					
मुख्य शीर्ष '2020' आय और व्यय पर करों का संग्रहण	Major Head "2020" Collection of Taxes on Income and Expenditure					
मू.	O.	119432.00		124772.33	123361.13	-1411.20
पू.	S.	6505.00				
पु.	R.	-1164.67				

(I) "अन्य व्यय - अग्रिम विनिर्णयों के लिए प्राधिकार" के अंतर्गत 143.65 लाख रु. के मूल प्रावधान को 6.80 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 150.45 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, क्रेताओं के बिलों से संबंधित अदायगी पर प्रत्याशा से कम व्यय किए जाने के कारण 9.74 लाख रु. (पूरक अनुदान सहित) की बचत हुई।

(I) Under "Other Expenditure - Authority for Advance Rulings" - the original provision of Rs.143.65 lakhs was augmented to Rs.150.45 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.6.80 lakhs. However there was a saving of Rs.9.74 lakhs (including supplementary grant) due to less expenditure towards payment of bills from vendors than anticipated.

(II) "संग्रहण प्रभार - आयकर आयुक्त और उनके कार्यालय" के अंतर्गत 120026.75 लाख रु. के मूल प्रावधान को 4576.90 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 124603.65 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो विज्ञापन और सूचना प्रौद्योगिकी पर कम व्यय होने के कारण 3910.69 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) Under "Collection Charges - Income Tax - Commissioners and their offices" - the original provision of Rs.120026.75 lakhs was augmented to Rs.124603.65 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.4576.90 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.3910.69 lakhs - due to less expenditure on Advertising and Information Technology.

3. उपर्युक्त बचतें "निदेशन और प्रशासन - अनुसंधान, सांख्यिकी और प्रकाशन" के अंतर्गत पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (1544.81 लाख रु) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि अनुदानों की पूरक मांगों के अनुबंध-II द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1670.76 लाख रु. था।

3. The above savings were partly (Rs.1544.81 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament vide Annexure-II to Supplementary Demands for Grants under "Direction and Administration - Research, Statistics and Publication". Actual excess, however, was Rs.1670.76 lakhs.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

4. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष '4059'' लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works			
मू.	O.	1900.00		
पु.	R.	-1376.28	523.72	262.75 -260.97
मुख्य शीर्ष '4216'' आवास पर पूँजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing			
मू.	O.	700.00		
पु.	R.	-571.97	128.03	125.22 -2.81

(I) मुख्य शीर्ष '4059'' - "कार्यालय भवन - अन्य व्यय - तैयार निर्मित आवास का अधिग्रहण" के अंतर्गत 1637.25 लाख रु. की बचत (1900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(I) Under Major Head "4059" - "Office Buildings - Other Expenditure- Acquisition of Ready built Accommodation" - saving of Rs.1637.25 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1900.00 lakhs); and

(II) मुख्य शीर्ष '4216'' - "सरकारी रिहायशी भवन- आयकर कर्मचारियों के लिए रिहायशी भवन - तैयार निर्मित फ्लैटों का अधिग्रहण" के अंतर्गत 574.78 लाख रु. की बचत (700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(II) Under Major Head "4216" - "Government Residential Buildings - Residential Buildings for Income Tax Employees - Acquisition of Ready built Flats" - saving of Rs.574.78 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.700.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें तैयार निर्मित कार्यालय/रिहायशी आवास की खरीद के लिए प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा न किए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to non- completion of procedural requirements for purchase of ready built office/ residential accommodation.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 97.92 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 49 प्रतिशत थी।

(III) Under one head saving of Rs.97.92 lakhs occurred constituting 49 percent of the sanctioned provision.